मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 9-6/2013/नियम/चार भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर, 2013

प्रति,

1. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, मध्यप्रदेश भोपाल
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
3. समस्त संभागीय पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
4. समस्त जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
5. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषय- पेंशनरों को पेंशन के प्रथम भुगतान के बाद पेंशन आदेश खो जाने पर उनकी द्वितीय प्रति जारी करने के संबंध में ।

संदर्भ- वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक/एफ-9/5/2004/नियम/चार, दिनांक 30-6-2004.

उपरोक्त विषय में वित्त विभाग द्वारा जारी सन्दर्भित परिपत्र क्रमांक एफ-9/5/2004/नियम/चार, दिनांक 30-6-2004 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाकर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-1 के नियम-349(2) संबंधित संवितरण अधिकारी की व्यक्तिगत सुरक्षा में रखें जायें ।

2. पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. के गुम होने पर संबंधित संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी/कोषालय अधिकारी से इस परिपत्र की कंडिका-4 में दर्शित बिन्दुओं की जानकारी एवं अनुशंसा सहित द्वितीय प्रति जारी करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का संचालक, पेंशन, भविष्य निधि एवं बीमा म.प्र. भोपाल पूर्ण परीक्षण कर महालेखाकार/संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी को गुम पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. की द्वितीय प्रति जारी करने की अनुमति देंगे।

3. पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. गुम होने की अवस्था में जिला पेंशन अधिकारी/कोषालय अधिकारी द्वारा संभागीय पेंशन अधिकारी को गुम पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. की द्वितीय प्रति जारी करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर संभागीय पेंशन अधिकारी द्वारा पैरा-2, अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

4. गुम पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. की द्वितीय प्रति जारी करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं की जानकारी भेजी जाए :-
   (i) पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. धारक का नाम एवं पता।
   (ii) पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. का क्रमांक (जो भी गुम हुआ है)।
   (iii) संबंधित द्वारा पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. गुम होने की जानकारी कब दी गई?

(iv) पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. किस कार्यालय से गुम हुआ?

(v) गुम पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ.किस कार्यालय से किस कार्यालय को भेजा गया था?

(vi) पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. भेजने की क्या प्रक्रिया अपनायी गयी थी ? रजिस्टर्ड डाक द्वारा/साधारण डाक द्वारा/पेंशनर के हाथ से या किसी अन्य माध्यम से । प्रेषण की तिथि का भी उल्लेख करें ।

(vii) पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. यदि कोषालय में प्राप्त हुआ हो, तो प्राप्तकर्ता या पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. संधारणकर्ता उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पद नाम सहित ।

(viii) बैंक से पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. भेजने के लिये उत्तरदायी बैंक अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना, स्थान ।

(ix) प्रकरण में पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. गुम होने की विधिवत एफ.आई.आर. किसके द्वारा कराई गई है? (एफ.आई.आर. की प्रति संलग्न करें) विधिवत एफ.आई.आर. दर्ज न कराई गई हो, यदि थाने में केवल सूचना दी गई है तो पत्र की प्रति।

(x) भुगतान करने वाली बैंक के केन्द्रीयकृत पेंशन प्रक्रियां केन्द्र (सी.पी.पी.सी.) का प्रमाणीकरण कि गुम हुए पी.पी.ओ. पर अन्य शाखा से भुगतान नहीं किया जा रहा है।

5. संभागीय पेंशन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रस्ताव संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, म.प्र. भोपाल को प्रेषित न किये जावे ।

6. गुम हुए पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. के स्थान पर जारी द्वितीय प्रति पर टीप लगायी जाए कि "मूल पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. गुम हो गया है।" प्राप्त होने पर भुगतान न किया जाए तथा खोया हुआ मूल पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. प्राप्त होने पर महालेखाकार/ संबंधित संभागीय जिला पेंशन अधिकारी की ओर निरस्तीकरण हेतु भेजा जाए ।

7. पुनरीक्षित पी.पी.ओ./जी.पी.ओ./सी.पी.ओ. के गुम होने पर भी उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

8. उपरोक्त निर्देश केवल राज्य शासन के सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों के प्रकरणों के लिए लागू होगें ।

9. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मिलिन्द वाईकर)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग